कुलाध्यक्ष
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

VISITOR
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW

आत्मना संगों जितः

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAVAN, LUCKNOW

Dated..............20.....

संख्याः ई– 4098 /जी0एस0 दिनांक 11 जून ,2025

आदेश

1. प्रत्यावेदिका डॉ0 अरुणा भारती, संकाय सदस्य, एनेस्थीसिया विभाग, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (आगे 'संस्थान') द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में योजित रिट ए संख्या 9257 ऑफ 2024, डॉ0 अरुणा भारती बनाम उ0प्र0 राज्य थ्रू मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 के अनुपालन में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (आगे 'अधिनियम') की धारा–36 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 17.11.2022 के द्वारा अपने प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 को संशोधित करते हुए प्रोविजनल शब्द हटाकर पूर्णरूपेण प्रोफेसर पद के लिए देयता तिथि 01.07.2017 से प्रोन्नत करते हुए प्रोफेसर पद के समस्त वित्तीय लाभ (consequential benefits) वेतनमान, पे–फिक्सेशन, पे–बैण्ड, इंक्रीमेण्ट इत्यादि व उनके अवशेष दिलाये जाने हेतु संस्थान को निर्देशित किये जाने की याचना की गयी है।

2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट ए संख्या 9257 ऑफ 2024, डॉ0 अरुणा भारती बनाम उ0प्र0 राज्य थ्रू मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 का निम्न अंश सुसंगत एवं अवलोकनीय है :

"2. Instant writ petition has been filed praying for a direction to respondent No. 3 to decide the reference dated 17.11.2022, a copy of which is annexure 3 to the writ petition, within specified time.
3. Considering the aforesaid, the writ petition is disposed of. Respondent No. 3 is expected to decide the reference filed by the petitioner dated 17.11.2022 in accordance with law expeditiously, if possible within 10 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order."

3(क). प्रत्यावेदिका का मुख्यतः कथन है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में दिनांक 05.01.2007 को चयन होने पर प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 19.01.2007 को उक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रत्यावेदिका की पदोन्नति देयता तिथि दिनांक 01.07.2010 से कार्यालय आदेश दिनांक 12.09.2014 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर की गयी। एडीशनल प्रोफेसर के पद पर

प्रत्यावेदिका की पदोन्नति देयता तिथि 01.07.2013 से कार्यालय आदेश दिनांक 09.01.2016 द्वारा प्रदान की गयी, उक्त पद पर 4 साल की सेवापूर्ण होने के फलस्वरूप प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यावेदिका की आवश्यक अर्हता दिनांक 01.07.2017 को पूर्ण हो गई थी तथा प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 01.07.2017 से पहले ही सात पब्लिकेशन कर लिये गये थे।

3(ख). प्रत्यावेदिका के प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 में, प्रत्यावेदिका को देयता तिथि 01.07.2017 से प्रोन्नत न करके, दिनांक 01.07.2019 से प्रोन्नत किया गया तथा इसकी सूचना प्रत्यावेदिका को नहीं दी गई। प्रत्यावेदिका का साक्षात्कार अपने से दो साल जूनियर बैच के डिपार्टमेण्टल प्रमोशन कमेटी (27.07.2019) में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में होने से ही, संभवतः त्रुटिवश ड्यू डेट ऑफ प्रमोशन गलत अंकित हो गयी है। एडीशनल प्रोफेसर पद पर 04 वर्ष की सेवा के पश्चात प्रोफेसर पद पर प्रत्यावेदिका की प्रोन्नति की अर्हता/देयता तिथि 01.07.2017 से बनती है, जिससे प्रोफेसर पद पर दिनांक 01.07.2019 से प्रत्यावेदिका की प्रोन्नति अमान्य व विधिविरुद्ध है।

3(ग). प्रत्यावेदिका के बैच (जनवरी, 2007) के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी मई, 2018 में साक्षात्कार हेतु प्रत्यावेदिका को नहीं बुलाया गया और न ही ना बुलाए जाने के कारण के बारे में कोई सूचना दी गई, प्रत्यावेदिका द्वारा विवश होकर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका संख्या 15170/2018(एस/एस) योजित करने पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को होने वाली आगामी डी.पी.सी., में प्रत्यावेदिका से दो साल जूनियर बैच के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (27.07.2019) में प्रत्यावेदिका के सम्मिलित होने संबंधित अंतरिम आदेश "*Since the juniors to the petitioners have already been promoted on the post of professor in the year 2018 and again the candidature of the next batch who are two batch junior to the petitioner may likely to be considered in the DPC which may likely to commence within short span of time as informed by the learned council for the parties, therefore, the candidature of the petitioner may be considered provisionally but the same shall be kept under sealed-cover in the DPC.*" पारित किया गया। मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी दिनांक 27.07.2019 में प्रत्यावेदिका को सम्मिलित किया गया, प्रत्यावेदिका के साक्षात्कार के उपरान्त उक्त डी.पी.सी. की संस्तुति सील्ड कवर में रखी गई।

3(घ). दिनांक 28.10.2009 को प्रत्यावेदिका के विरुद्ध एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 615/2009 साजिशन थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में अंकित करवाई गई थी, जिसके न्यायिक ट्रायल में सी.जे.एम., लखनऊ के आदेश दिनांक 16.02.2022 द्वारा प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिया गया, इसके विरुद्ध कोई भी अपील मा0 न्यायालय में दाखिल नहीं है। मा0 ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित उक्त दोषमुक्ति आदेश के पश्चात प्रत्यावेदिका द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट याचिका संख्याः 15170/2018 में याचिका के निस्तारण हेतु उक्त् दोषमुक्ति आदेश दिनांक 16.02.2022 को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को विस्तृत सुनवाई के पश्चात एडिशनल प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 01.04.2022, जिसका सुसंगत अंश "*... In view of above, let the recommendation of the Selection Committee with regard to promotion of the petitioner to the post of Professor aforesaid, be opened and a decision be taken with regard to her promotion keeping in mind the judgment of the Trial Court dated 16.02.2022 referred hereinabove. For the aforesaid purpose the meeting of the Selection Committee shall be convened within one month and it shall accordingly make recommendation to the Appointing Authority and thereafter the Appointing Authority shall pass appropriate orders in this regard as per Rules, at the earliest, say, within a period of one month of receipt of recommendation of the Selection Committee. All this of course is subject to any Appeal being filed against the judgment of acquittal passed by the trial Court and its bearing, if any, in the matter. With the aforesaid observations/directions, the writ petition is disposed of.*" है, पारित किया गया।

3(च). संस्थान द्वारा दिनांक 20.08.2022 को प्रत्यावेदिका की एडिशनल प्रोफेसर से प्रोफेसर (प्रोविजनल) के पद पर प्रोन्नति शर्तों के साथ की गयी, प्रमोशन आदेश में

पूर्णतया नियम विरुद्ध शर्तें लगायी गयी हैं। प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर के पद पर ड्यू डेट ऑफ प्रमोशन 01.07.2017 थी, ऐसी दशा में तत्समय लागू नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यावेदिका देयता तिथि दिनांक 01.07.2017 से पदोन्नति पाने के लिए पूरी तरह से अर्ह एवं योग्य है। प्रत्यावेदिका को प्रोविजनल प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना गलत है। प्रत्यावेदिका के प्रोफेसर पद के प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित पेपर पब्लिकेशन और ऑथर संबंधी कानून वर्तमान नियम है तथा वह वर्ष 2017 में लागू नहीं था, यह कानून वर्ष 2019 के बाद लागू हुआ है। प्रत्यावेदिका के प्रमोशन की देयता तिथि वर्ष 2017 थी, इसलिए उसे तत्समय प्रचलित नियम व कानून के अंतर्गत प्रमोशन लाभ मिलना चाहिए। प्रत्यावेदिका के चयन बैच 2007 में चयनित बैचमेट सहकर्मियों का प्रमोशन दिनांक 01.07.2017 से किया गया है तथा प्रत्यावेदिका भी उसी तिथि से प्रोन्नति की हकदार है। उक्त बैचमेट सहकर्मियों के प्रोन्नति आदेश में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई है, क्योंकि 2017 में प्रचलित नियम व कानून अलग था। प्रत्यावेदिका के प्रोन्नति आदेश में वर्ष 2019 के बाद प्रचलित नियम व कानून को शर्तों के साथ लगाया जाना सर्वथा अमान्य, अनुचित तथा नियम विरुद्ध है, जो संशोधित किए जाने योग्य है।

3(छ). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थान के अकाडमिक अनुभाग–रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना में किसी भी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है, ऐसी दशा में उस समय लागू नियमावली कानून के अनुसार प्रत्यावेदिका प्रमोशन पाने के लिए पूरी तरह से अर्ह एवं योग्य है। दिनांक 01.07.2017 में प्रचलित नियम व शर्तो के अनुसार प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्णरूपेण अर्ह एवं योग्य होने के कारण ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में उपस्थित होकर साक्षात्कार देने के लिए सम्मिलित किया गया था। प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 12.10.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2017 को लागू नियम व तत्समय प्रचलित नियमावली की सूचना मांगे जाने पर उसमें भी किसी भी शर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी। प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.08.2022 में प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के समस्त वित्तीय/परिणामी लाभ इत्यादि 01.07.2017 से नहीं दिये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदिका द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.2022 संस्थान के निदेशक व सक्षम अधिकारी को दिया गया है।

3(ज). प्रत्यावेदिका द्वारा प्रोफेसर पद का प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 जारी होने के पश्चात, इस आदेश को संशोधित किये जाने की प्रत्याशा में दिनांक 24.08.2022 को कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रत्यावेदिका द्वारा निदेशक के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आदेश को संशोधित किए जाने की याचना करने पर उसे इसी प्रोन्नति आदेश के क्रम में ज्वाइन करने के लिए कहा गया और बाद में इस प्रोन्नति आदेश को संशोधित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु उक्त प्रोन्नति आदेश को संशोधित नहीं किया गया और ना ही पे–फिक्सेशन किया गया। अतएव प्रत्यावेदिका द्वारा प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 को संशोधित करते हुए देयता तिथि दिनांक 01.07.2017 से उसे प्रोफेसर पद के समस्त वित्तीय/परिणामी लाभ व अवशेष आदि दिलाये जाने हेतु संस्थान को निर्देशित किये जाने की याचना की गयी है।

4(क). संस्थान द्वारा प्रेषित आख्या में मुख्यतः यह उल्लेख है कि प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर पद पर की गई प्रोन्नति के समय उसके विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष लम्बित होने के कारण चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति आदेश में Provisional शब्द अंकित किया गया था। चूंकि अब मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः प्रत्यावेदिका के पदोन्नति आदेश को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपंरात संशोधित कर दिया जायेगा। प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर पद पर की गई पदोन्नति को दिनांक 01.07.2019 के स्थान पर 01.07.2017 से किए जाने के विषय में दिनांक 01.07.2017 को एम.सी.आई. मानकों के अनुरूप अर्हता : *"Four research publication in Indexed Journal on cumulative basis with minimum of two research publication during the tenure of Associate Professor as 1st Author or as corresponding Author."* पूर्ण न होने के कारण प्रत्यावेदिका को पदोन्नत नहीं किया गया था एवं वर्ष 2019 में पदोन्नति हेतु अर्ह पाये जाने के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में इनकी पदोन्नति जुलाई, 2019 से प्रोफेसर के पद पर की गई है।

4(ख). संस्थान के अन्य 17 चिकित्सकों की पदोन्नति एम.सी.आई. एक्ट/गाइडलाइन के अनुसार की गयी है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में संस्थान का कथन है कि इन चिकित्सकों की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति चयन समिति द्वारा न्यू कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अन्तर्गत की गयी संस्तुति एवं संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के उपरान्त की जाती है, चूंकि संस्थान के संकाय सदस्यों की पदोन्नति

सक्षम स्तर द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अनुमोदनोपरान्त की जाती/गयी है, अतः प्रत्यावेदिका के प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01.07.2019 से की गयी पदोन्नति के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर उसी स्तर की चयन समिति के माध्यम से पुर्नविचार हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है।

5(क). प्रत्यावेदिका द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर में, प्रत्यावेदन में उठाये गये तथ्यों पर बल देते हुए उल्लेख किया गया है कि प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 19.07.2007 को संस्थान में सहायक प्रोफेसर पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। आदेश दिनांक 12.09.2014 के द्वारा उसे देयता तिथि दिनांक 01.07.2010 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति दी गयी। एसोसिएट प्रोफेसर से एडिशनल प्रोफेसर के पद पर देयता तिथि 01.07.2013 से कार्यालय आदेश दिनांक 09.01.2016 द्वारा प्रोन्नत किया गया, जिस पर प्रत्यावेदिका 04 वर्ष की सेवा दिनांक 30.06.2017 को पूर्ण कर दिनांक 01.07.2017 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह हो गयी। प्रत्यावेदिका द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 15170/2018 (एसबी) में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 के कम में अर्ह पाये जाने पर डी0पी0सी0 दिनांक 27.09.2019 में सम्मिलित कर साक्षात्कार लिया गया। प्रत्यावेदिका के विरूद्ध योजित वाद संख्या 202/2014 मु०अ०सं० 615/2009 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णीत करते हुए दिनांक 16.02.2022 को प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 18.02.2022 को संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक को उचित माध्यम से प्राप्त करा देने के लम्बे समय के बाद दिनांक 20.08.2022 को प्रोफेसर के पद का पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें बिना किसी सूचना के प्रोविजनल शब्द अंकित करके प्रोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि 01.07.2017 से न करके दिनांक 01.07.2019 अंकित कर दी गयी। संस्थान का यह कथन कि चूँकि अब मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः प्रत्यावेदिका के पदोन्नति आदेश को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संशोधित कर दिया जायेगा, मा0 न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त आदेश दिनांक 18.02.2022 को सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित माध्यम से प्राप्त करा दिये जाने के पश्चात प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 में प्रोविजनल शब्द अंकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। संस्थान की प्रथम विनियमावली, 2011 के अध्याय दस के

भाग–2 के पैरा–57 में संकाय सदस्यों की पदोन्नति योजना अर्हता के बारे में *''संकाय सदस्यों के लिए निर्धारण पदोन्नति योजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली में जो प्रचलित है, यथावत लागू होगी''* प्रावधानित है। प्रत्यावेदका को बिना किसी प्रकार की नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना पदोन्नति देयता तिथि 01.07.2017 के 02 वर्ष बाद दिनांक 01.07.19 से कर दिया जाना अवैधानिक व अमान्य है तथा इससे प्रत्यावेदिका को अपूर्णनीय क्षति हो रही है।

5(ख). Implementation of New Assessment Promotion Scheme for the Faculty of AIIMS-Guidelines as Approved by the Governing Body on 25.04.1992 and 5th March, 2001 में एडिशनल प्रोफेसर पद से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की अर्हता *(iii) Additional Professors with four years of service will be eligible for appointment to the post of Professor subject to clearance of the prescribed selection process.* निर्धारित है। प्रत्यावेदिका ने दिनांक 01.07.2017 के पूर्व ही एडिशनल प्रोफेसर पद की निर्धारित योग्यता अर्थात 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, अतः प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.2017 से होनी चाहिए। संस्थान एक टर्सियरी केयर सुपरस्पेशिएलिटी इन्स्टीट्यूट है, जिस पर एम्स, नई दिल्ली में प्रभावी नियम ही लागू होते हैं। AIIMS एक स्वायत्तशासी संस्था है जो MCI (वर्तमान NMC) Act की Perview में नहीं आता है ऐसी दशा में पदोन्नति आदेश में अंकित शर्त पूरी तरह से भ्रामक, अविधिक व अमान्य है।

5(ग). प्रत्यावेदिका द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर पद से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति अर्हता के सम्बन्ध में 01 जुलाई, 2017 में लागू नियम के बारे में सूचना मॉगे जाने पर संस्थान द्वारा प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति अर्हता केवल एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष की सेवा होना ही प्राविधानित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के साथ संलग्न कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2012 के पैरा IV में Professor : *They will be placed in pay Band-4 (Rs. 37400-67000) with the minimum Pay of Rs. 51600/- and Academic Grade Pay of Rs. 10500/- Additional Professors with **four years** of service will be eligible for appointment to the post of Professor subject to clearance of the prescribed selection process.* प्रावधानित है।

5(घ). उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत ही संस्थान के कार्यालय आदेश दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रत्यावेदिका के निम्न कुलीग बैचमेट की पदोन्नति प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01.07.2017 से प्रदान की गयी है:–

1. डा० अनुपम वर्मा, ट्रान्सफ्यूजनमेडिसिन
2. डा० प्रशान्त अग्रवाल, ट्रान्सफ्यूजनमेडिसिन
3. डा० देवेन्द्र गुप्ता, एनेस्थिीसियोलॉजी
4. डा0 नीरज कुमारी, पैथोलॉजी
5. डा० सुशीला जायसवाल, पैथालॉजी
6. डा० अनुपमा कौल, नेफ्रोलॉजी
7. डा० राम नवल, पैथालॉजी
8. डा० ऋतु वर्मा, पैथालॉजी
9. डा० अंशू श्रीवास्तवा, पीडीयाट्रिक गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी
10. डा० विकास कनौजिया, न्यूरो. आपथैलमोलॉजी
11. डा० प्रवीर राय, गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी
12. डा० आर०के० सिंह, किटिकल केयर मेडिसिन
13. डा० ज्ञानचन्द्र, एण्डोकाइन सर्जरी
14. डा0 गौरंगा मजूमदार, सी०वी०टी०एस०
15. डा० पूनीत गोयल, एनेस्थिीसियोलॉजी
16. डा० हीरा लाल, रेडियोडायग्नोसिस
17. डा० शिव कुमार, रेडियोडायग्नोसिस

उपरोक्त व्यक्तियों की पदोन्नति प्रोफेसर पद पर दिनांक 01.07.2017 से एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की गयी है, जिससे 17 व्यक्तियों की पदोन्नति में MCI (वर्तमान NMC) एक्ट/गाइड लाइन की शर्त नहीं लगायी गयी है, तदनुसार प्रत्यावेदिका भी उक्त 17 व्यक्तियों की तरह ही पदोन्नति में Parity पाने की हकदार है। उक्त कुलीग बैचमेट की प्रोफेसर पद पर की गयी पदोन्नति कार्यालय आदेश दिनांक 25.06.2018 में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष होने की अर्हता का प्रावधान *Sub: Appointment to the post of Professor under the New Career Progression Scheme at the SGPGIMS, Lucknow as per Provisions of Institute's office Order No:* 6911 *PGI/~ DIR/DC/*2012 आदेश दिनांक 27.01.2012 में अंकित है, से स्पष्ट है कि उक्त 17 कुलीग बैचमेट की भांति प्रत्यावेदिका भी एडिशनल प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.2017 से ही प्राप्त करने की हकदार है। एक ही कुलीग बैचमेट की पदोन्नति में, दूसरे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए

अलग–अलग प्रावधान/नियम नहीं लगाये जा सकते, अलग–अलग नियम लगाया जाना पूरी तरह से विभेदकारी, मनमाना व उत्पीड़न है।

5(च). संस्थान की विनियमावली के अध्याय 10, भाग–2 के पैरा 57 संस्थान में एम्स के प्रचलित नियम ही लागू होने का उल्लेख है अतएव संस्थान में लागू/प्रचलित प्रावधानों/स्कीम्स के तहत प्रत्यावेदिका की पदोन्नति दिनांक 01.07.2017 से ही किया जाना विधिसंगत है अतएव प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 को संशोधित करते हुए प्रोविजनल शब्द हटाकर प्रोफेसर पद के लिए देयता तिथि 01.07.2017 से पदोन्नति आदेश प्रभावी करते हुए प्रोफेसर पद के समस्त वित्तीय लाभ (consequential benefits) दिलाये जाने हेतु संस्थान को निर्देशित किया जाये।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 19.01.2007 को सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण के पश्चात, दिनांक 01.07.2010 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पर देयता तिथि 01.07.2013 पदोन्नति प्रदान की गयी। एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 4 साल की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यावेदिका की आवश्यक अर्हता दिनांक 01.07.2017 को पूर्ण हो गई थी। प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 01.07.2017 से पूर्व आवश्यक सात पब्लिकेशन कर लिये गये थे। संस्थान की आख्यानुसार, प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर पद पर की गई पदोन्नति के समय उसके विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष लम्बित होने के कारण चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति आदेश में Provisional शब्द अंकित किया गया है। प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं0 615/2009 थाना मोहनलालगंज, सी.जे.एम., लखनऊ द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसकी सूचना प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 18.02.2022 को संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक को प्राप्त करा देने के काफी समय बाद दिनांक 20.08.2022 को शब्द ''प्रोविजनल'' व कतिपय शर्तें अंकित करके प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर पद पर पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किया गया। इस प्रोन्नति आदेश में देयता तिथि 01.07.2017 से न करके दिनांक 01.07.2019 अंकित कर दी गयी। प्रत्यावेदिका द्वारा अपराध सं0 615/2009 में सी.जे.एम., लखनऊ के उपरोक्त दोषमुक्ति आदेश दिनांक 16.02.2022 के द्वारा स्वयं को दोषमुक्त कर दिये जाने की सूचना दिनांक 18.02.2022 को ही संस्थान के अध्यक्ष/निदेशक को प्राप्त कराये जाने के लगभग छः माह बाद निर्गत प्रोन्नति आदेश दिनांक 20.08.2022 में MCI (वर्तमान NMC)

एक्ट/गाइड लाइन के विरुद्ध सशर्त "प्रोविजनल" शब्द अंकित किया जाना स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

7. प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, प्रत्यावेदिका के कुलीग बैचमेट की प्रोफेसर पद पर की गयी पदोन्नति कार्यालय आदेश दिनांक 25.06.2018 में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष होने की अर्हता का प्रावधान *Sub: Appointment to the post of Professor under the New Career Progression Scheme at the SGPGIMS, Lucknow as per Provisions of Institute's office Order No:* 6911 *PGI/~DIR/DC/*2012 *dated* 27*th January, 2012* एवं कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2012 से स्पष्ट है कि 17 कुलीग बैचमेट की भांति प्रत्यावेदिका भी प्रोफेसर पद पर दिनांक 01.07.2017 से ही पदोन्नति/समानता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उल्लेखनीय है कि "भारत का संविधान" का अनुच्छेद 14 समानता और कानूनों के संरक्षण की गारंटी देता है, इसलिए राज्य का कोई भी कानून, नियम अथवा विनियम प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। प्रत्यावेदिक के कथनानुसार संस्थान द्वारा प्रत्यावेदिका के बैचमेट 17 चिकित्सकों को दिनांक 01.07.2017 से प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा प्रत्यावेदिका को उपरोक्तानुसार प्रोन्नति से वंचित किया गया है, जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत प्रदत्त समानता, लोक सेवायोजन में अवसर की समता एवं विधि के शासन की भावना का स्पष्ट उल्लंघन एवं मनमानेपन (arbitrariness) का द्योतक है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था **ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1974 एससी 555** (पॉच–सदस्यीय संविधान पीठ) एवं **मानेका गॉधी बनाम भारत संघ, एआईआर 1978 एससी 597** (सात–सदस्यीय संविधान पीठ) में अवधारित किया गया है कि *"In fact equality and arbitrariness are sworn enemies, one belongs to the rule of law in a republic while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitrary it is implicit in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law is therefore violative of Art. 14, and if it affects any matter relating to public employment, it is also violative of Art. 16. Arts. 14 and 16 strike at arbitrariness in State action and ensure fairness and equality of treatment. They require that State action must be based on valent relevant principles applicable alike to all similarly situate and it must not be guided by any extraneous or irrelevant considerations because that would be denial of*

equality." जिसके आलोक में प्रत्यावेदिका के प्रकरण में संस्थान द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 20.08.2022 पूर्णरूपेण स्वीकार्य एवं विधि की दृष्टि में ग्राह्य नहीं हैं।

8. संस्थान की आख्यानुसार, प्रोफेसर पद पर की गई प्रत्यावेदिका की पदोन्नति दिनांक 01.07.2019 के स्थान पर 01.07.2017 से किए जाने के सन्दर्भ में, प्रत्यावेदिका को दिनांक 01.07.2017 को एम.सी.आई. मानकों के अनुरूप अर्हता *"Four research publication in Indexed Journal on cumulative basis with minimum of two research publication during the tenure of Associate Professor as 1" Author or as corresponding Author."* पूर्ण न होने के कारण प्रत्यावेदिका को पदोन्नत नहीं किया गया था, के विरुद्ध प्रत्यावेदिका के इस कथन कि दिनांक 01.07.2017 तक प्रत्यावेदिका के 07 पब्लिकेशन हो चुके थे, का खण्डन संस्थान द्वारा नहीं किया गया है, जो संस्थान द्वारा उसे स्वीकार किये जाने का प्रभाव रखता है। विनियम 57 के अनुसार संस्थान में एम्स के प्रचलित नियम ही लागू होने का उल्लेख है। Implementation of New Assessment Promotion Scheme for the Faculty of AIIMS-Guidelines as Approved by the Governing Body on 25.04.1992 and 5th March, 2001 में एडिशनल प्रोफेसर पद से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता *(iii) Additional Professors with four years of service will be eligible for appointment to the post of Professor subject to clearance of the prescribed selection process.* एवं कुलीग बैचमेट की प्रोफेसर पद पर की गयी पदोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश दिनांक 25.06.2018 में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष होने की अर्हता का प्रावधान *Appointment to the post of Professor under the New Career Progression Scheme at the SGPGIMS, Lucknow as per Provisions of Institute's office Order No:* 6911 *PGI/~ DIR/DC/*2012 आदेश दिनांक 27.01.2012 से प्रतीत होता है कि प्रत्यावेदिका को भी कुलीग बैचमेट के समान एडिशनल प्रोफेसर पद पर दिनांक 01.07.2017 से प्रोन्नत किया जाना समीचीन होगा।

9. प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, उपर्युक्त 17 एडीशनल प्रोफेसर्स की पदोन्नति प्रोफेसर पद पर कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2012 में प्रावधानित व्यवस्था, एडिशनल प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की गयी है, की समानता के आधार पर प्रत्यावेदिका भी दिनांक 01.07.2017 से पदोन्नति की हकदार है। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **एस. शिवगुरु बनाम तमिलनाडु राज्य, (2013) 7 एससीसी 335** में

अवधारित सिद्धान्त अवलोकनीय हैं, जिसके अनुसार पद और वेतन में समानता के लिए (i) पद की प्रकृति और कर्तव्य, (ii) पदधारक द्वारा निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारियॉ और उसकी शक्तियॉ, (iii) क्षेत्रीय या अन्य प्रभार की सीमा या निर्वहन की गयी जिम्मेदारी, (iv) पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता, यदि कोई हो और (v) पद के वेतन आदि को विचारणीय व प्रासंगिक माना गया है, तदनुसार उपर्युक्त 17 एडीशनल प्रोफेसर्स, जिनको संस्थान द्वारा MCI (वर्तमान NMC) एक्ट/गाइड लाइन के अनुसार बिना शर्त के प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी हैं, की भांति प्रत्यावेदिका को भी दिनांक 01.07.2017 से ही प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्राप्त करने की हकदार होना परिलक्षित हो रहा है।

10. संस्थान की आख्यानुसार, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यावेदिका की प्रोफेसर पद पर की गई पदोन्नति के समय उसके विरूद्ध आपराधिक वाद, मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष लम्बित होने के कारण चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति आदेश में 'प्रोविजिनल' शब्द अंकित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदिका को दोषमुक्त कर दिये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदिका के पदोन्नति आदेश को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपंरात संशोधित कर दिया जायेगा। संस्थान के संकाय सदस्यों की पदोन्नति सक्षम स्तर द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अनुमोदनोपरान्त की जाती है, अतः प्रत्यावेदिका के प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01.07.2019 से की गयी पदोन्नति के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर उसी स्तर की चयन समिति के माध्यम से पुर्नविचार हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है। प्रत्यावेदिका के विरूद्ध योजित वाद संख्या 202/2014 में निर्गत प्रत्यावेदिका के दोषमुक्ति आदेश दिनांक 16.02.2022 की प्रति प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 18.02.2022 को ही संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक को प्राप्त करा दिये जाने के लगभग छः माह बाद भी प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.08.2022 में शर्तो के साथ ''प्रोविजनल'' शब्द अंकित किया जाना एवं देयता तिथि 01.07.2017 के स्थान पर दिनांक 01.07.2019 अंकित कर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। संस्थान द्वारा अपनी आख्या में उपर्युक्त त्रुटियाँ स्वीकार की गयी हैं, किन्तु लगभग 03 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त त्रुटियों का निराकरण/संशोधन नहीं किया जाना विधि की दृष्टि में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

कुलाध्यक्ष
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

VISITOR
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW

आत्मना संगों जितः

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAVAN, LUCKNOW

Dated...............20.....

11. अतएव, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्यावेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए संस्थान द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.08.2022 निरस्त किया जाता है एवं उपर्युक्त पर्यवेक्षण (observations) के आलोक में, आठ सप्ताह की अवधि में, सकारण एवं मुखरित (reasoned and speaking) नवीन आदेश द्वारा प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से इस सचिवालय को भी अवगत कराये जाने हेतु संस्थान को निर्देशित किया जाता है।

ह0/-

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 अरूणा भारती, प्रोफेसर, एनेस्थिीसियोलॉजी विभाग, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
2. निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल हेतु।

16/6/26

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव